# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

**अपील संख्या :– 3229/2025**

प्रहलाद सहाय यादव

**–अपीलार्थी**

**बनाम**

1. राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त प्रमुख शासन सचिव, पशुपालन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, पशुपालन विभाग, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

**प्रस्तुतिकरण की दिनांक** : 03.07.2025
**आदेश की दिनांक** : 08.07.2025

**अपीलार्थी की ओर से : श्री संदीप कलवानिया, अधिवक्ता**

**समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य**
**लेखराज तोसावड़ा, सदस्य**

## आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलो के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी वर्तमान में पशु चिकित्सा अधिकारी के पद पर निदेशालय, पशुपालन विभाग, जयपुर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी संख्या 2 ने आलौच्य आदेश दिनांक 30.4.2025 (आदेश क्रमांक 5081) के द्वारा अपीलार्थी का कार्य व्यवस्थार्थ पदस्थापन पशु चिकित्सालय, हस्तेडा, जयपुर से निदेशालय, पशुपालन विभाग, जयपुर में किया गया है। अपीलार्थी ने उक्त आदेश की पालना में कार्यग्रहण कर लिया है और अपीलार्थी वर्तमान में कार्य व्यवस्थार्थ, निदेशालय, पशुपालन विभाग, जयपुर में कार्यरत है। (अनुलग्नक–1) अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति वर्ष 2016 में पशु चिकित्सा अधिकारी के पद पर राजकीय पशु चिकित्सालय, नालोट जिला नागौर में हुई थी। इसके पश्चात प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी का अलग–अलग स्थानों पर स्थानान्तरण किया गया। प्रत्यर्थी विभाग ने आदेश दिनांक 12.7.2018 से अपीलार्थी का स्थानांतरण राजकीय पशु चिकित्सालय, श्यामगढ कुचामन से पशु चिकित्सालय, हस्तेडा जिला जयपुर में किया गया था। उक्त आदेश की पालना में अपीलार्थी ने हस्तेडा कार्यग्रहण कर लिया था। (अनुलग्नक–2) प्रत्यर्थी संख्या 2 के द्वारा जारी आलौच्य आदेश दिनांक 15.1.2025 के द्वारा अपीलार्थी को स्थानांतरण राजकीय पशु चिकित्सालय, हस्तेडा, जयपुर से

प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय, सरदारसमंद, पाली में किया गया था। जिसकी पालना अपीलार्थी ने नही की है और अपीलार्थी को आलौच्य आदेश दिनांक 30.4.2025 के द्वारा कार्य–व्यवस्थार्थ निदेशालय, जयपुर में पदस्थापित किया गया है। (अनुलग्नक–3) प्रत्यर्थी संख्या 2 के द्वारा जारी आलौच्य आदेश दिनांक 30.4.2025 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण प्रतिबंध की अवधि में किया गया है और उक्त आलौच्य आदेश कार्यव्यवस्था के आधार पर किया गया है। राज्य सरकार ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थानांन्तरण पर दिनांक 15.1.2025 से प्रतिबंध लगा रखा है और उक्त प्रतिबंध वर्तमान में भी प्रभावी है। इसके बावजूद भी प्रत्यर्थी संख्या 2 ने बिना सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त किये अपीलार्थी को स्थानान्तरण किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय ने प्रतिबंध की अवधि में किये गये स्थानांतरण आदेश को डॉ महेश कुमार पंवार बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान में पारित आदेश में अनुचित एवं राज्य सरकार के दिशा–निर्देशों की अवहेलना में जारी किया गया हुआ माना है। अपीलार्थी का वर्तमान प्रकरण भी समान तथ्यों पर आधारित है। (अनुलग्नक–4) माननीय उच्च न्यायालय ने डॉ. कैलाश चंद गुर्जर बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान एवं SBCWP No- 12454/2013 Smt- Kamlesh Ghaggar V/s State of Rajasthan के मामलें में दिए गए निर्णय में कार्य व्यवस्थार्थ पर किये गये स्थानातरण को अनुचित एवं अवैद्य माना है। अपीलार्थी के पिता का निधन हो चूका है और वृद्ध मां अक्सर बिमारी रहती है। अपीलार्थी की बिमार मां की देखभाल की जिम्मेदारी भी स्वयं पर ही है। अपीलार्थी के छोटे बच्चें है। इसलिए उक्त परिस्थितियों के बावजूद भी अपीलार्थी का दूरस्थ स्थान पर स्थानांतरण किया गया है। जयपुर जिलें में पशु चिकित्सा अधिकारी के पद भी रिक्त है। इसके बावजूद अपीलार्थी को कार्य–व्यवस्थार्थ पदस्थापित किया गया है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी के संबंध में जारी आलौच्य आदेश दिनांक 30.42025 (अनुलग्नक–1) को को अपास्त फरमाया जावे एवं अपीलार्थी को पशु चिकित्सा अधिकारी के पद पर जयपुर जिलें एवं आस पास रिक्त पदों में से किसी पद पर पदस्थापित किये जाने के निर्देश दिए जावे।

हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी को सुना। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किया जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह

अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

अतः प्रस्तुत अपीलों के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (speaking order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपीले, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

**(लेखराज तोसावड़ा)**
**सदस्य**

**(चेतन राम देवड़ा)**
**सदस्य**